# उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 | अंक 17 | 1-15 सितंबर 2024 | ₹ 20/-

## अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 लोगों को उम्रकैद

- असम में आधार के लिए एनआरसी रसीद जरूरी
- म्यांमार से हजारों रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन
- हूतियों का इजरायल पर हमला
- जॉर्डन के संसदीय चुनावों में कट्टरपंथियों की भारी जीत

परामर्शदाता
**डॉ. कुलदीप रतनू**

सम्पादक
**मनमोहन शर्मा***

सम्पादकीय सहयोग
**शिव कुमार सिंह**

**कार्यालय**
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

**E-mail:**
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

**Website:**
www.ipf.org.in

**मुद्रक–प्रकाशकः** मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

# अनुक्रमणिका

**सारांश** 03

**राष्ट्रीय**

अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 लोगों को उम्रकैद 04
असम में आधार के लिए एनआरसी रसीद जरूरी 09
उत्तर प्रदेश के 513 मदरसों की मान्यता समाप्त 10
औवेसी पर तीन हजार करोड़ की वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप 12
संघ द्वारा जातिगत जनगणना का समर्थन उर्दू प्रेस के निशाने पर 14

**विश्व**

म्यांमार से हजारों रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन 17
अमेरिका में आतंकी हमले की साजिश के आरोप में एक पाकिस्तानी गिरफ्तार 18
पाकिस्तानी सेना के साथ झड़प में आठ अफगान सैनिक मारे गए 19
डच नेता की हत्या के लिए उकसाने पर दो पाकिस्तानियों को सजा 21
बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा 22

**पश्चिम एशिया**

हूतियों का इजरायल पर हमला 23
संयुक्त अरब अमीरात में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित 24
चीनी प्रधानमंत्री का सऊदी अरब दौरा 25
जॉर्डन के संसदीय चुनावों में कट्टरपंथियों की भारी जीत 27
सूडान में सैन्य हमले में दर्जनों मारे गए 28

# सारांश

केंद्र सरकार की सतर्कता के बावजूद पिछले कई सालों से भारत को लोकतांत्रिक राष्ट्र से इस्लामी राष्ट्र में बदलने का अभियान बड़ी तेजी से चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि धर्मांतरण हेतु मुस्लिम और ईसाई संस्थानों को विदेशी स्रोतों से विपुल धनराशि मिल रही है। इस संबंध में लखनऊ की एक विशेष अदालत ने इस्लामी प्रचारक मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम समेत 12 लोगों को गैर-कानूनी तरीके से धर्मांतरण कराने और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तहस-नहस करके शरिया हुकूमत को स्थापित करने की साजिश रचने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि चार अन्य लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही इन पर जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का फुलत क्षेत्र प्रारंभ से ही वहाबियों का केंद्र रहा है। विदेशी धन के बल पर यहां की अनेक संस्थाएं हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करने का अभियान चला रही हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में जिस तेजी से धर्मांतरण का अभियान चल रहा है उसे नजरअंदाज करना देश के भविष्य के लिए खतरनाक होगा।

यह तथ्य सर्वविदित है कि दशकों से पूर्वोत्तर भारत में घुसपैठ का सिलसिला जारी है। इसके कारण इस क्षेत्र के मूल निवासी अल्पसंख्यक बनने के कगार पर हैं और घुसपैठिए सत्ता पर कब्जा करने के लिए प्रयत्नशील हैं। यही कारण है कि असम के अनेक क्षेत्रों में बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों की संख्या 40 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। दुख की बात यह है कि पुरानी सरकारें इस घुसपैठ को रोकने के प्रति उदासीन रही हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र पर मंडरा रहे इस खतरे को भांपा है। उन्होंने इस खतरे को रोकने के लिए कुछ ठोस प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। हिमंत बिस्वा सरमा ने यह घोषणा की है कि अब आधार कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) आवेदन रसीद संख्या जमा करानी होगी। मुख्यमंत्री का तर्क है कि इससे अवैध घुसपैठियों के राज्य में प्रवेश पर लगाम लगेगी। मुस्लिम संगठन असम सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य देश में लोकतंत्र को खत्म करके शरिया पर आधारित शासन को स्थापित करना है। यही कारण है कि मुस्लिम नेता बार-बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुसलमानों को अपने मामले देश की अदालतों में ले जाने के बजाय शरिया अदालतों में ले जाना चाहिए। सवाल यह उठता है कि क्या ये लोग देश में समानांतर न्याय व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं?

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के संबंध दिन-प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं। हाल ही में इन दोनों देशों के सैनिकों के बीच कई खूनी झड़पें हुई हैं। इन झड़पों में दोनों तरफ के सैनिक मारे गए हैं। कुछ दिनों पहले खैबर पख्तूनख्वा की सीमा पर पाकिस्तानी सेना के साथ हुई झड़प में आठ अफगान सैनिक मारे गए हैं। इसके अतिरिक्त एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है।

मुस्लिम जगत में जिस गति से चीन का वर्चस्व बढ़ रहा है उसे नजरअंदाज करना भारत के हित में नहीं होगा। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग के हाल के सऊदी अरब दौरे पर भारत को बारिकी से नजर रखनी होगी। यह सर्वविदित है कि चीन और पकिस्तान मिलकर भारत को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। चीन भारत विरोधी अपनी पुरानी नीति 'मोतियों की माला' को तेजी से कार्यान्वित कर रहा है।

# अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 लोगों को उम्रकैद

**अवधनामा** (12 सितंबर) के अनुसार अवैध धर्मांतरण केस में लखनऊ की एक विशेष अदालत ने मौलाना कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर गौतम समेत 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि इस केस से जुड़े चार अन्य लोगों को 10-10 साल की कैद और दो-दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। विशेष अदालत ने दो दिन पहले सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। एनआईए-एटीएस अदालत के न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने इन दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 417, 120बी, 153ए, 153बी, 295ए, 121ए, 123 और अवैध धर्मांतरण कानून की धारा 3,4 और 5 के तहत दोषी करार दिया है।

अदालत ने मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी, इरफान शेख, सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेख, प्रसाद रामेश्वर कांवरे उर्फ आदम, भूप्रिय बंधो उर्फ अर्सलान मुस्तफा, कौशर आलम, फराज वाबुल्लाह शाह, धीरज गोविंद राव जगताप, सरफराज अली जाफरी, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी और अब्दुल्ला उमर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त मोहम्मद सलीम, राहुल भोला, मन्नू यादव और कुनाल अशोक चौधरी को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2021 के जून महीने में इन लोगों के खिलाफ अवैध धर्मांतरण कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद मेरठ से मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी को राष्ट्रव्यापी धर्मांतरण का गिरोह करार दिया है। एटीएस ने कहा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को मासूम लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने के लिए बहरीन से 5 करोड़ 10 लाख रुपये और अन्य खाड़ी देशों से 3 करोड़ रुपये की धनराशि अवैध रूप से प्राप्त हुई थी।

एटीएस का आरोप है कि यह गिरोह सामूहिक रूप से धर्मांतरण करके देश में आबादी के अनुपात को बदलना चाहता था और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को कमजोर करके देश में शरिया पर आधारित सरकार को सत्ता में लाना चाहता था। इस राष्ट्रव्यापी सिंडिकेट द्वारा उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं, नाबालिगों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विकलांगों के धर्मांतरण का अभियान मल्टी लेवल मार्केटिंग के सिद्धांत पर चलाया जा रहा था। नौकरी, शादी और पैसे का लालच देकर इन लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था। सरकारी वकील एमके सिंह के अनुसार ये दोषी साजिश के तहत धार्मिक जुनून, वैमनस्य और नफरत फैलाकर अवैध धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे। इनके तार विदेशों से जुड़े हुए थे और वहां से इन्हें गुप्त रूप से भारी धनराशि मिल रही थी।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि उमर गौतम पहले हिंदू था। मुसलमान बनने के बाद उसने पूरे देश में धर्मांतरण का अभियान चलाया। उस पर 1000 से अधिक हिंदुओं को मुसलमान बनाने और हिंदू लड़कियों का निकाह मुसलमानों से कराने का आरोप है। यह अभियान दिल्ली के जामिया नगर में स्थित इस्लामिक दावा सेंटर नामक संगठन की आड़ में चलाया जा रहा था।

**उर्दू टाइम्स** (12 सितंबर) के अनुसार जमीयत उलेमा, महाराष्ट्र की कानूनी सहायता कमेटी की ओर से वकील आरिफ अली, वकील फुरकान पठान और वकील सैफ अली समेत लगभग एक दर्जन वकीलों ने आरोपियों का मुकदमा लड़ा। आरिफ अली ने अदालत में तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपियों के खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका है, जिसके आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया जा सके। सरकार ने आरोपियों के खिलाफ गवाही देने के लिए 24 सरकारी कर्मचारियों को गवाह के रूप में पेश किया था। आरोपियों के वकील ने कहा कि गवाहों के बयान में तालमेल की कमी है। जहां तक आरोपी इरफान का संबंध है उसका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं था। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया। वकील ने अदालत को यह भी बताया कि सरकारी गवाह लक्ष्मी गुप्ता के बेटे आदित्य गुप्ता ने 2020 में इस्लाम कबूल किया था। जबकि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून 2021 में बना, इसलिए इस कानून को इस मुकदमे पर लागू नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इस कानून के तहत पीड़ित और उसके परिवार के लोग ही आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। जबकि इस मामले में एटीएस अधिकारी विनोद ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा बनाया गया।

**सहाफत** (14 सितंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के अध्यक्ष डॉ. जफरुल इस्लाम खान ने कहा कि यह हिंदुत्व एजेंडे के लिए कानून और न्यायपालिका का बहुत

ही खतरनाक और घटिया इस्तेमाल है। जिस कानून के तहत आरोपियों को सजा दी गई है वह भारतीय संविधान की धारा 25 और 28 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि संविधान में सभी वर्गों को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। अगर उन्होंने इस्लाम के प्रचार के लिए विदेशों से सहायता भी ली है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इस तरह की सहायता हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों को भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का यह कानून संविधान विरोधी है और इसका लक्ष्य मुसलमानों को परेशान करना है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ऊपरी अदालत इस फैसले को रद्द कर देगी।

**हमारा समाज** (13 सितंबर) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी के अमीर सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने अदालत द्वारा कलीम सिद्दीकी और उनके सहयोगियों को दी गई सजा पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि संविधान ने हर व्यक्ति को अपने पसंद का धर्म अपनाने और उसका प्रचार करने का अधिकार दिया है। कोई भी सरकार उसे इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जिस कानून के तहत इन्हें सजा दी गई है वह संविधान के खिलाफ है।

**तासीर** (13 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि 2021 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की एक स्कूल टीचर कल्पना सिंह ने बच्चों का गैर-कानूनी तौर पर धर्मांतरण करने के सिलसिले में उमर गौतम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद देशभर से लोगों को चुन-चुनकर गिरफ्तार किया गया। मौलाना कलीम पर धर्मांतरण के लिए विदेशों से धनराशि लेने का भी आरोप लगाया गया है। इसी तरह से उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी पर हजारों हिंदुओं को गैर-कानूनी तौर पर मुसलमान बनाने का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर के एक गांव फुलत में मौलाना कलीम सिद्दीकी की ओर से शाह वलीउल्लाह ट्रस्ट चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त वे ग्लोबल पीस फाउंडेशन के भी अध्यक्ष हैं। मौलाना सिद्दीकी पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, जिन्हें ऐसे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी कई इस्लामी विद्वानों को झूठे आरोपों का शिकार बनाया जा चुका है। समाचारपत्र ने कहा है कि जिस कानून के तहत मौलाना को सजा सुनाई गई है वह भारतीय संविधान के खिलाफ है। हमें यह आशा है कि मौलाना सिद्दीकी और उनके सहयोगियों को उच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा।

**हमारा समाज** (13 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को अवैध धर्मांतरण का दोषी करार देने वाली अदालत को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि दुनियाभर में मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाने वालों पर सबसे ज्यादा अत्याचार अदालतों में ही होता है। संविधान में तमाम धर्मों को यह आजादी है कि वे अपनी आस्था और धर्म का प्रचार करें। अदालत का यह फैसला अपने आप में संविधान विरोधी है। अगर सरकार को यह अहंकार है कि वह अदालतों द्वारा ऐसे फैसले करवाकर भारत के उस समूह को भयभीत कर सकती है, जिसने अंग्रेजों के अत्याचार को खत्म करने के लिए सिर और दाढ़ी की बाजी लगा दी थी। जहां तक

मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला है, वे हमारे उन उलेमाओं के उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने 1857 में दिल्ली से लाहौर तक अपने शवों का प्रदर्शन करके अंग्रेजों को यह याद दिला दिया था कि इस देश के आजादी पसंदों को अपनी जान की कभी परवाह नहीं होती।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (11 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि हमें इस फैसले से हैरानी नहीं हुई है। सरकार की ओर से अदालत के सामने जिस तरह से मौलाना सिद्दीकी और उनके सहयोगियों के अपराध पेश किए गए थे उससे साफ था कि मौलाना देश के सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाने के दोषी हैं और उन पर बिल्कुल तरस नहीं खाना चाहिए। सच तो यह है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से यह राग अलापा जाने लगा है कि मुस्लिम उलेमा प्रलोभन देकर या जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाने का अभियान चला रहे हैं। अगर कोई मुसलमान हिंदू बन जाए तो उसे हिंदू बनाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मौलाना की गिरफ्तारी के समय अनेक क्षेत्रों में यह सवाल उठा था कि यह कानून मुसलमानों को भयभीत करने के लिए बनाया गया है और मुसलमान व उनके नेताओं को फर्जी मुकदमो में फंसाया जा रहा है। इसका लक्ष्य यह भी है कि आम मुसलमान यह सोचकर ही भयभीत हो जाएं कि अगर योगी सरकार आजम खान और कलीम सिद्दीकी जैसे मुसलमानों को जेल भेज सकती है तो आम मुसलमानों की क्या हैसियत है। मौलाना पर विदेशों से फंड इकट्ठा करने का भी आरोप लगाया गया है। पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अदालत में ऐसे आरोप औंधे मुंह गिरे हैं। यह फैसला निचली अदालतों का है। ऊपर की अदालतें अभी बाकी हैं। मुसलमानों को पूरी ताकत से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाने चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

**उर्दू टाइम्स** (15 सितंबर) ने कहा है कि भारतीय न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता अब खतरे में है। जिस दौर से न्यायपालिका अब गुजर रही है वह पिछले 75 सालों में कभी नहीं गुजरा है। अदालत के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए मौलाना कलीम सिद्दीकी के वकील मुफ्ती ओसामा नदवी ने कहा है कि यह पूरा मामला झूठा और मनगढ़ंत है। सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि धर्मांतरण से संबंधित कानून ही गलत है। दुनियाभर

में कोई ऐसा लोकतंत्र नहीं है, जहां पर किसी व्यक्ति का धर्मांतरण करने पर उम्रकैद की सजा दी जाती हो। अब सवाल यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति पैसों के लिए अपना धर्मांतरण कर रहा है तो यह उसका व्यक्तिगत मामला है। इस मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना या उसके बारे में कानून बनाना उस व्यक्ति की निजता का हनन है। इस कानून का सबसे बड़ा खेल यह है कि अभी तक इस कानून के तहत सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों को ही गिरफ्तार किया गया है। इसका इस्तेमाल कभी भी हिंदुओं या उनके संगठनों के खिलाफ नहीं हुआ, जो खुलेआम गैर-हिंदुओं को हिंदू बनाते हैं। भगवा ट्रैप के तहत मोहब्बत की जाल में फंसाकर सैकड़ों मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया जा रहा है, लेकिन आज तक ऐसे मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कानून में यह प्रावधान है कि ऐसे मामलों में पीड़ित या उसका संबंधी ही शिकायत दर्ज करवा सकता है, लेकिन इस केस में शिकायत दर्ज करने वाली एक सरकारी एजेंसी है। इस एजेंसी का गठन आतंकवाद के उन्मूलन के लिए किया गया है। क्या धर्मांतरण को आतंकवाद की संज्ञा दी जा सकती है?

एनआईए ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों का संबंध पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई से है, लेकिन अदालत में इस संबंध में कोई भी सबूत या फोन कॉल पेश नहीं किया गया। एनआईए-एटीएस अदालत के ब्राह्मण न्यायाधीश साहब 'त्रिपाठी जी' ने एनआईए के आरोपों को आसमानी सच मान लिया और इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि इस आरोप को साबित करने के लिए अदालत में कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया या नहीं। क्या इस देश में इस्लाम का प्रचार करना सबसे खतरनाक मामला है?

**औरंगाबाद टाइम्स** (15 सितंबर) ने अपने संपादकीय में अदालत के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि मौलाना और उनके साथियों को उस अपराध की सजा दी गई है जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। ऐसे फैसलों से जनता का अदालतों और देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास को झटका लगता है। समाचारपत्र ने मुसलमानों से अपील की है कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करें ताकि न्यायपालिका का दुरुपयोग रूक सके।

**हिंदुस्तान** (12 सितंबर) ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है, "मौलाना कलीम सिद्दीकी को सजा, कैसी अदालत और कहां का इंसाफ?" संपादकीय में कहा गया है कि विश्वविख्यात इस्लामी प्रचारक मौलाना कलीम सिद्दीकी को उस अपराध की सजा दी गई है, जिसका अधिकार उन्हें भारतीय संविधान ने दे रखा है। इसके बावजूद अगर कोई अदालत धर्मांतरण के मामले में किसी को सजा देती है तो इसे न्याय और न्यायपालिका की विश्वसनीयता नहीं कहा जा सकता। मौलाना कलीम सिद्दीकी को एटीएस ने 2021 में गिरफ्तार किया था। इसके बाद अनेक लोगों को झूठे आरोपों में हिरासत में ले लिया गया। उन्हें हर तरह के कानूनी शिकंजे में जकड़ा गया। उन्हें जबरन, धमकी या लालच देकर धर्मांतरण कराने और मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोपी ठहराया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाए जाने के बाद उनका मामला एटीएस के साथ-साथ एनआईए के भी हवाले कर दिया गया। आज तक जितने भी मुसलमान झूठे आरोपों में पकड़े गए थे और जिनके खिलाफ जांच एजेंसियों ने पक्षपातपूर्ण जांच की थी वे सब उच्च न्यायालय से छूट गए। अब देश के हालात बेहद चिंताजनक हैं। जांच एजेंसियां और अदालतें तक धार्मिक भेदभाव के शिकार हैं। हैरानी की बात है कि मुस्लिम कौम अब तक कुंभकर्णी नींद में है। वक्त की मांग है कि मुसलमान स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ठोस और प्रभावी रणनीति अपनाएं ताकि उनकी अलग पहचान और इस्लाम बच सके।

# असम में आधार के लिए एनआरसी रसीद जरूरी

**रोजनामा सहारा** (8 सितंबर) के अनुसार असम में अब सभी नए आधार कार्ड आवेदकों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) आवेदन की रसीद संख्या जमा करनी होगी। यह घोषणा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने की है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य में अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। यह नियम अक्टूबर से लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम के धुबरी जिले में वास्तविक आबादी से ज्यादा आधार कार्ड जारी किए गए थे। संदिग्ध लोगों को आधार कार्ड जारी किए जाने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

जनवरी 2024 से लेकर अब तक राज्य में 54 अवैध घुसपैठिए पकड़े गए हैं। इनमें से 45 लोगों को उनके देश वापस भेज दिया गया है। जबकि बाकी नजरबंदी शिविर में हैं। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से हो रही अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए पुलिस और सीमा सुरक्षा बल को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत सीमा से लगे जिलों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि असम में सीमा पार से घुसपैठ करने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। 1971 से लेकर 2014 तक राज्य में 48 हजार से अधिक विदेशी पकड़े गए थे। इनमें से 27 हजार मुसलमान और लगभग 20 हजार हिंदू थे। कछार क्षेत्र में सबसे ज्यादा विदेशी पकड़े गए थे। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य की 72 प्रतिशत जनसंख्या असमिया भाषी है। जबकि 28 प्रतिशत लोग बांग्ला बोलते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की सुरक्षा के लिए विदेशी घुसपैठ को रोकना बेहद जरूरी है ताकि असमिया संस्कृति की रक्षा की जा सके।

**उर्दू टाइम्स** (1 सितंबर) ने आरोप लगाया है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा खुलेआम मुस्लिम विरोधी नीति अपनाए हुए हैं और वे मुसलमानों के खिलाफ निरंतर अभियान

चला रहे हैं। हैरानी की बात है कि 'सबका साथ, सबका विकास' का दावा करने वाली मोदी सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साध रखा है।

**हिंदुस्तान** (5 सितंबर) ने असम में एनआरसी को लागू किए जाने पर चिंता प्रकट की है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस वक्त असम हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला है। यहां की मुस्लिम विरोधी सरकार किसी न किसी बहाने मुसलमानों को अपना निशाना बना रही है। असम सरकार ने एनआरसी को लागू करते हुए 28 मुसलमानों को नजरबंदी शिविर में भेज दिया है। ये वे मुसलमान हैं, जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सके। इनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें विदेशी करार दिया है। इससे असम में रहने वाले हजारों मुसलमानों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। असम में विदेशी घुसपैठ एक पुराना मामला है। यह विवाद दशकों से चला आ रहा है। असल बात यह है कि कश्मीर के बाद असम एक ऐसा राज्य है जहां पर मुस्लिम जनसंख्या सबसे अधिक है। यही जनसंख्या सांप्रदायिक भाजपा और संघ परिवार की नजर में खटक रही है। विदेशी घुसपैठियों की आड़ में सदियों से असम में रहने वाले मुसलमानों को विदेशी घोषित करके उन्हें निष्कासित करने की तैयारी हो रही है। समाचारपत्र ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि मुस्लिम संगठन मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

**अखबार-ए-मशरिक** (6 सितंबर) ने शिकायत की है कि देश के जिन राज्यों में भाजपा सत्तारूढ़ है वहां पर मुसलमानों का जीना दूभर किया जा रहा है। शरिया और इस्लाम को खत्म करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू किया जा रहा है। जहां तक मुस्लिम विरोधी नीतियों का संबंध है, इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा में होड़ लगी हुई है कि मुसलमानों को कौन सबसे अधिक परेशान करता है। सरकार की यह नीति सेक्युलरिज्म का खुला उल्लंघन है। असम सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि राज्य में रहने वाले हर नागरिक को न्याय मिल सके।

## उत्तर प्रदेश के 513 मदरसों की मान्यता समाप्त

**मुंबई उर्दू न्यूज** (11 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की बैठक में यह निर्णय किया गया है कि उत्तर प्रदेश के 513 मदरसों की मान्यता समाप्त कर दी जाए। इन मदरसों की मान्यता 2016 के नियमों के अनुसार समाप्त की जा रही है। बोर्ड ने पहले इन मामलों की समीक्षा करने और फिर नियमावली के तहत आगे की कार्यवाही के लिए रजिस्ट्रार आरपी सिंह को अधिकृत किया है। इस समय राज्य में 16460 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें से 560 मदरसों को सरकारी अनुदान मिलता है। जिन मदरसों की मान्यता समाप्त की जा रही है उनमें झांसी के 242 और मऊ के 10 मदरसे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अंबेडकर नगर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने भी 234 मदरसों की मान्यता समाप्त करने की सिफारिश की थी। मदरसा शिक्षा

बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि कई मदरसों में छात्रों की संख्या तेजी से घट रही है और कर्मचारियों के पिछले पांच साल के वेतन बाकी हैं। अब मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना को भी बंद कर दिया गया है।

**हिंदुस्तान** (7 सितंबर) के अनुसार प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जिले के जामिया हबीबिया मदरसा को ध्वस्त करने के लिए मदरसा प्रबंधकों को नोटिस दिया है। हाल ही में पुलिस ने इस मदरसे के प्रबंधकों को नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार किया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अनुसार इस मदरसे के प्रबंधकों ने तीन हजार वर्गमीटर क्षेत्र में भूतल और पहली मंजिल पर एक मदरसा बनाया है। इस मदरसे के निर्माण के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली गई है। प्राधिकरण ने इस मदरसे के प्रबंधकों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (7 सितंबर) के अनुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले का एक मदरसा सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इस मदरसे के प्रबंधकों ने प्राइवेट स्कूल चलाने के लिए लाइसेंस लिया था और अब इसे इस्लामी मदरसे के रूप में चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर राज्य में मदरसों के निरीक्षण का अभियान तेज कर दिया गया है। ये मदरसे धार्मिक संस्थान हैं, जिनमें बच्चों को सिर्फ इस्लामी शिक्षा दी जाती है। उन्होंने कहा कि इन मदरसों के प्रबंधक सरकारी अनुदान लेने के लिए फर्जी छात्रों एवं छात्राओं की संख्या घोषित करते हैं।

**हिंदुस्तान** (9 सितंबर) के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार को यह शिकायत मिली है कि इस्लामी मदरसों के जरिए गैर-मुस्लिम छात्रों का धर्मांतरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 577 मदरसों के पंजीकरण का नवीनीकरण रोक दिया गया है। इन पर यह आरोप है कि ये मदरसे मिड डे मील योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए छात्रों के फर्जी आंकड़े बताते हैं। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा 1677 मदरसों की जांच कराई गई है। हाल ही में एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की टीम ने दो मदरसों का दौरा किया था। वहां पर करीब 48 छात्रों के नाम फर्जी पाए गए थे। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि जो मदरसे सरकार से अनुदान ले रहे हैं उनकी उच्चस्तरीय जांच की जा रही है।

# औवेसी पर तीन हजार करोड़ की वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप

**तासीर** (1 सितंबर) में लिखे अपने लेख में मतीउर रहमान अजीज ने यह आरोप लगाया है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ की तीन हजार करोड़ से अधिक की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा है। यही कारण है कि ओवैसी केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि ओवैसी इस वक्फ संपत्ति को अपने व्यक्तिगत हित के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वे वक्फ कानून के उस प्रावधान का भी खुला उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि वक्फ संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को 30 साल से अधिक की अवधि के लिए लीज पर नहीं दिया जा सकता है। समाचारपत्र ने यह आरोप लगाया है कि इस घोटाले में अकेले ओवैसी शामिल नहीं हैं, बल्कि इस मामले में अनेक मुस्लिम नेताओं का दामन दागदार है।

दूसरी ओर, वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यह आरोप लगाया कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिर्फ दिल्ली में ही 172 वक्फ संपत्तियों पर गैर-कानूनी कब्जा कर रखा है। इस कब्जे के खिलाफ मुसलमान अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। पुरातत्व विभाग ने समिति के सामने 53 संरक्षित पुरातत्व स्मारकों की सूची भी पेश की, जिस पर देश के विभिन्न वक्फ बोर्ड दावा कर रहे हैं।

वक्फ वेल्फेयर फोरम के अध्यक्ष जावेद अहमद ने सरकार द्वारा संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान कानून में अनेक त्रुटियां हैं,

जिनका अनुचित लाभ ताकतवर मुस्लिम नेता उठा रहे हैं। वर्तमान कानून में सबसे बड़ी कमी यह है कि वक्फ बोर्ड अवैध कब्जों की पहचान तो कर सकता है, लेकिन उसके पास इन अवैध कब्जों को हटाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लाम की परंपरा के अनुसार दौलतमंद मुसलमानों ने समय-समय पर वक्फ इसलिए बनाए थे ताकि उनसे समाज के छात्रों की पढ़ाई के लिए संस्थानों का निर्माण किया जा सके और मस्जिदों व अन्य धार्मिक संस्थानों के संचालन के लिए धनराशि की व्यवस्था की जा सके।

जावेद अहमद ने कहा कि राज्य सरकारों के पास वक्फ संपत्ति की निगरानी का अधिकार तो है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वक्फ बोर्ड के कर्मचारी वक्फ संपत्ति का सही रिकॉर्ड अक्सर गायब कर देते हैं। इसकी वजह से इस संपत्ति से हटाने हेतु अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना संभव नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 के अपने एक निर्णय में स्पष्ट किया था कि एक बार जिस संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है वह हमेशा के लिए वक्फ संपत्ति हो जाता है और उसे वापस नहीं लिया जा सकता। न ही किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत कार्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बावजूद राज्य सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को सही नीयत से लागू नहीं किया। 2013 में वक्फ कानून में संशोधन किया गया था, लेकिन यह संशोधन वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण करने और उन्हें अवैध कब्जों से मुक्त कराने में पूरी तरह से विफल रहा।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (28 अगस्त) के अनुसार तेलंगाना सरकार पुराने शहर में मुसलमानों द्वारा बनाई गई पुरानी इमारतों को अवैध घोषित करके उन्हें ध्वस्त करने का अभियान शुरू कर रही है। बताया जाता है कि राज्य सरकार के निशाने पर ओवैसी परिवार का फातिमा ओवैसी कॉलेज भी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम के नेता और असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चाहे मुझे गोली मार दो या मेरे ऊपर तलवार चलाओ, लेकिन गरीबों को पढ़ने से मत रोको। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए हमारे संगठन ने 12 शिक्षण संस्थानों का निर्माण करवाया था। अब राज्य सरकार उन्हें अवैध घोषित करके उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि चुन-चुनकर मुसलमानों की संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। तेलंगाना सरकार योगी सरकार की बुलडोजर नीति का अनुसरण कर रही है।

एआईएमआईएम ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और हैदराबाद विकास प्राधिकरण के कमिश्नर से भी शिकायत की है। सरकार का आरोप है कि ओवैसी ब्रदर्स ने हैदराबाद के बंदलागुडा स्थित एक झील में मिट्टी भरकर उस पर अनेक गैर-कानूनी शिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें परेशान करने वाले शायद यह सोच रहे हैं कि हम कमजोर हो गए हैं, लेकिन यह उनकी गलतफहमी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी उनकी शिक्षण संस्थानों को ध्वस्त करने का प्रयास किया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे।

# संघ द्वारा जातिगत जनगणना का समर्थन उर्दू प्रेस के निशाने पर

**अवधनामा** (8 सितंबर) के अनुसार संघ परिवार के लिए जातिगत जनगणना का समर्थन करना जहर का प्याला पीने से कम नहीं है। सरकार को बचाने के लिए वह सब कुछ करना पड़ता है, जो सिद्धांतों में कहीं नहीं होता। एक महीने पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में भाषण दिया था। उन्होंने उस भाषण में एक चक्रव्यूह का जिक्र किया था। उन्होंने उस चक्रव्यूह के रचयिता मोदी, शाह, अंबानी, अडानी, अजीत डोवाल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत को बताया था। उनके इस बयान से आरएसएस को जो मिर्ची लगी उसका असर संघ की पत्रिका पाञ्चजन्य में प्रकाशित एक संपादकीय में दिखता है। इस संपादकीय को पढ़ने से यह पता चलता है कि पाञ्चजन्य के संपादक हितेश शंकर और भाजपा के सड़क छाप नेता अनुराग ठाकुर के बीच कोई अंतर नहीं है। अनुराग ठाकुर को जब राहुल गांधी का जवाब देने के लिए मैदान में उतारा गया तो 'गोली मारो सालों को' वाले डायलॉग के निर्माता ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि जिन लोगों को अपनी जाति तक का पता नहीं वे जातिगत जनगणना की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर के इस बयान पर भाजपा वालों ने खूब तालियां बजाईं। हालांकि, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर विरोध प्रकट किया।

पाञ्चजन्य ने अपने संपादकीय में जात-पात की वकालत करते हुए कहा है कि हिंदू समाज की जाति व्यवस्था हमेशा आक्रांताओं के निशाने पर थी। मुगलों ने तलवार के बल पर और मिशनरियों ने सेवा और सुधार की आड़ में इसे अपना निशाना बनाया। समाचारपत्र ने कहा है कि अगर आरएसएस में हिम्मत है तो उसे यह साफ करना चाहिए कि मुगलों और अंग्रेजों की तरह भीमराव अंबेडकर ने भी कौम से गद्दारी करके जाति व्यवस्था को खत्म करने का नारा दिया था और मनुस्मृति को खुलेआम जलाया था। जाति व्यवस्था पर आधारित हिंदू धर्म को छोड़कर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। पाञ्चजन्य के संपादक यह भूल गए हैं कि संघ के सरसंघचालक पिछले कई दशकों से वर्ण व्यवस्था का खुलेआम समर्थन करते आ रहे हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि दुनियाभर में वर्ण व्यवस्था की वकालत करने के बाद अब केरल में आरएसएस की एक बैठक में संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने आरएसएस का रंग बदलकर खुलेआम जातिगत जनगणना का समर्थन कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि क्योंकि यह मुद्दा विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है, इसलिए इसे राजनीतिक या चुनाव के उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आरएसएस के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सहमति के बिना क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण के संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। यह संघ की सबसे बड़ी कलाबाजी है।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (4 सितंबर) के अनुसार चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरएसएस ने जातिगत जनगणना का समर्थन करके नया रंग बदला है। उसकी इस घोषणा से देश की राजनीतिक गरमी में बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि क्या संघ के पास जातिगत जनगणना पर पाबंदी लगाने का कोई अधिकार है? अगर नहीं तो फिर वह इसकी अनुमति देने वाला कौन है? जब संघ कहता है कि चुनावी प्रचार के लिए जातिगत जनगणना का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए तो क्या वह कोई जज या अंपायर है? आरएसएस ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लिए आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को हटाने हेतु संविधान में संशोधन पर अभी तक मौन धारण क्यों कर रखा है? जयराम रमेश ने कहा कि जब आरएसएस ने हरी झंडी दिखा दी है तो क्या नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कांग्रेस की एक अन्य गारंटी को हाइजैक करके जातिगत जनगणना करवाएंगे?

**अखबार-ए-मशरिक** (8 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जातिगत जनगणना करवाने का मुद्दा देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने लोकसभा के चुनावी अभियान में ही यह घोषणा कर दी थी कि अगर वे सत्ता में आईं तो देशभर में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। भाजपा के भी कुछ सहयोगी दल इसका समर्थन कर रहे हैं। खास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) ने भी इसका समर्थन किया है। जहां तक भाजपा का संबंध है, अभी तक इस मुद्दे पर पार्टी का कोई स्पष्ट रूख नहीं है। अब भाजपा के गुरु समझे जाने वाले संगठन आरएसएस ने भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया है और कहा है कि इससे उसे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, सरकार के फैसले में आरएसएस का कोई दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार आरएसएस के इशारे पर ही चलती आ रही है।

समाचारपत्र ने कहा है कि आरएसएस का यह बयान सबसे बड़ा मजाक है, क्योंकि आरएसएस की उपज भाजपा चुनाव के लिए हर धार्मिक मुद्दे का इस्तेमाल करती आ रही है।

अजीब बात है कि संघ ने इसे कभी रोकने का प्रयास नहीं किया। जब चुनाव का मौसम आता है तो भाजपा की ओर से विवादित मुद्दों को हवा दी जाती है। समाज के दो सबसे बड़े समुदायों में कटुता पैदा की जाती है। नफरत को हवा देकर राजनीतिक लाभ लिया जाता है। राम मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राम मंदिर आंदोलन हो या उस पर अदालती फैसला या फिर उसका निर्माण, भाजपा ने चुनावों में हर मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाया है। अब समान नागरिक संहिता को उछाला जा रहा है। कुछ राज्यों में बहुसंख्यक समाज के ध्रुवीकरण के लिए इसे न सिर्फ लागू किया गया है, बल्कि इसके समर्थन में विधानसभाओं से प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। आरएसएस को भाजपा का मातृ संगठन समझा जाता है। अजीब बात यह है कि अब आरएसएस सभी राजनीतिक दलों को प्रवचन दे रहा है कि वे इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ न उठाएं। उसे सबसे पहले यह नसीहत भाजपा को देनी चाहिए थी कि वह धार्मिक मामलों का राजनीतिक शोषण करना बंद करे। जातिगत जनगणना भाजपा और आरएसएस दोनों के लिए ऐसी समस्या बन गई थी, जिससे बचना संभव नहीं था।

**सहाफत** (7 सितंबर) ने यह मत व्यक्त किया है कि जिस तरह से आरएसएस ने जातिगत जनगणना के बारे में अचानक अपनी नीति में परिवर्तन किया है उससे यह साफ है कि संघ को यह फैसला एनडीए में शामिल सहयोगी दलों के बढ़ते हुए विरोध और आने वाले विधानसभा चुनाओं में भाजपा की संभावित हार के खतरे को देखते हुए करना पड़ा है। कहा जाता है कि चार राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले आरएसएस ने जो सर्वे करवाया है उससे यह संकेत मिला है कि अगर जातिगत जनगणना का समर्थन न किया गया तो आने वाले चुनावों में भाजपा का सफाया हो जाएगा। अजीब बात है कि एक ओर तो संघ यह दावा कर रहा है कि राजनीतिक दलों को इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। आखिर क्या मजबूरी थी कि विधानसभा के चुनावों से ठीक पहले आरएसएस को अपने स्टैंड में परिवर्तन करना पड़ा है? क्या यह हकीकत नहीं है कि संघ परंपरागत रूप से मनुवादी विचारधारा का ध्वजवाहक है? भले ही सार्वजनिक रूप से इसका ऐलान न किया गया हो। अब देखना यह है कि संघ की यह नई नीति भाजपा के लिए कितनी लाभदायक साबित होती है।

# म्यांमार से हजारों रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन

**इंकलाब** (6 सितंबर) के अनुसार म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया है। इस अभियान का लक्ष्य म्यांमार के रखाइन क्षेत्र में रोहिंग्या मुसलमानों द्वारा आजाद इस्लामी हुकूमत स्थापित करने के प्रयासों को कुचलना है। इस अभियान के कारण लगभग 10 हजार रोहिंग्या मुसलमानों को अपनी जान बचाकर बांग्लादेश फरार होना पड़ा है। ब्रिटिश संवाद समिति 'रॉयटर्स' के अनुसार म्यांमार की सत्तारूढ़ सेना और बौद्ध बहुल अराकान आर्मी ने इस्लामी विद्रोहियों को कुचलने का अभियान छेड़ रखा है। हाल ही में म्यांमार में भारी हिंसा हुई है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। म्यांमार की सेना ने इस हमले के लिए हवाई जहाजों का भी इस्तेमाल किया है।

बांग्लादेश के शरणार्थी विभाग के प्रभारी मोहम्मद शम्सुद दौजा ने कहा है कि पिछले दो महीने में कम-से-कम 10 हजार रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश में दाखिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पहले से ही रोहिंग्या मुसलमानों के कारण आर्थिक संकट का शिकार है। अब हम किसी भी रोहिंग्या मुसलमान को अपने देश में शरण देने की स्थिति में नहीं हैं। हाल ही में बांग्लादेश के मंत्रिमंडल ने एक आपातकालीन बैठक में इस समस्या पर भी विचार किया है। सरकार ने कहा है कि देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अब हम और अधिक शरणार्थियों को अपने देश में शरण नहीं दे सकते। सरकार ने दावा किया है कि मानवीय आधार पर और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हम अपनी सीमा को सील करने की स्थिति में नहीं हैं। हालांकि, हम इन शरणार्थियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं।

बांग्लादेश सरकार ने यह दावा किया है कि इस समय 10 लाख से अधिक रोहिंग्या दक्षिण बांग्लादेश में स्थित शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। म्यांमार सरकार ने इनमें से अधिकांश लोगों को अपने देश की नागरिकता प्रदान नहीं की है, इसलिए इनकी म्यांमार वापसी की संभावना संदिग्ध है। सरकार ने यह स्वीकार किया कि संयुक्त राष्ट्र

इन शरणार्थी शिविरों के संचालन हेतु जो आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है वह पर्याप्त नहीं है और बढ़ती हुई महंगाई के कारण बांग्लादेश सरकार के लिए उनका खर्च उठा पाना संभव नहीं है। कुछ समय पहले बांग्लादेश सरकार ने इन शरणार्थियों को कुछ द्वीपों में बसाने का जो प्रयास किया था वह भी विफल रहा है। बांग्लादेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि इन शरणार्थियों को मानवीय आधार पर खाद्यान्न और अन्य राहत सामग्री तुरंत उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि निरंतर वर्षा के कारण उनमें महामारी फैलने की संभावना है।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा है कि अब हम किसी भी रोहिंग्या शरणार्थी को अपने देश में शरण देने के पक्ष में नहीं हैं। भारत सरकार से हमने इन शरणार्थियों के संबंध में जो अनुरोध किया था उसे उसने ठुकरा दिया है। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य मुस्लिम देश इन शरणार्थियों को अपने देश में शरण देने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश सरकार ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि म्यांमार की सरकार पर दबाव डाला जाए कि वह रोहिंग्या मुसलमानों पर सैन्य हमलों का सिलसिला बंद कर दे ताकि वे अपने घरों में शांति से रह सकें। ■

## अमेरिका में आतंकी हमले की साजिश के आरोप में एक पाकिस्तानी गिरफ्तार

**तासीर** (8 सितंबर) के अनुसार कनाडा में रहने वाले एक पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद शाहजेब खान को गिरफ्तार किया गया है। उसे इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक भीषण आतंकी हमले की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसकी योजना पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमले की बरसी के मौके पर अमेरिका में आतंकी हमला करने की थी। इस हमले का उद्देश्य अमेरिका और कनाडा में रहने वाले यहूदियों और उनके समर्थकों की हत्या करना था। अमेरिका में सरकारी वकील ने दावा किया है कि जांच के बाद अमेरिकी गुप्तचर

एजेंसी एफबीआई ने इस साजिश का खुलासा किया है। एफबीआई ने इस हेतु कनाडा और अन्य देशों की गुप्तचर एजेंसियों से भी सहयोग लिया है।

एफबीआई के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने कहा कि शाहजेब खान ने कनाडा से न्यूयॉर्क जाने का प्रयास किया था। उसने इस हमले के लिए काफी मात्रा में घातक हथियार भी खरीदे थे। उसकी योजना ब्रुकलीन स्थित एक यहूदी केंद्र पर हमला करने की थी। इसके लिए उसने अपने कई अन्य सहयोगियों को भी तैयार किया था। आरोप साबित होने पर शाहजेब को 20 साल से अधिक की सजा हो सकती है। कनाडा सरकार ने आरोपी को अपने देश से निष्कासित करके अमेरिका के हवाले कर दिया है।

**इंकलाब** (1 सितंबर) के अनुसार अमेरिका और इराक के सैनिकों ने इराक में आईएसआईएस के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई में कम-से-कम 15 आतंकवादी मारे गए हैं। जबकि इस अभियान में सात अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिकी सेट्रल कमांड का दावा है कि मारे गए आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथगोले और अन्य अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। यह कार्रवाई इराक के अनबार क्षेत्र में की गई है। मरने वालों में आईएसआईएस के अनेक प्रमुख आतंकवादी शामिल हैं।

## पाकिस्तानी सेना के साथ झड़प में आठ अफगान सैनिक मारे गए

**तासीर** (10 सितंबर) के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा की सीमा पर पाकिस्तानी सेना के साथ हुई झड़प में आठ अफगान सैनिक मारे गए हैं। यह झड़प सीमावर्ती जिला कुर्रम में हुई। पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के अनुसार अफगान सैनिकों ने पाक-अफगान सीमा पर पालोसिन क्षेत्र में स्थित एक पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला किया, जिसका जवाब पाकिस्तानी सेना ने भी दिया। इस हमले में कम-से-कम आठ अफगान सैनिक मारे गए। मरने वालों में अफगान सेना के दो प्रमुख कमांडर भी शामिल थे। पाकिस्तानी सेना ने इस झड़प में 16 अफगान

सैनिकों के घायल होने का भी दावा किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दिन-प्रतिदिन तनाव बढ़ता जा रहा है। तीन दिन पहले मध्य कुर्रम के मरघन क्षेत्र में प्रतिबंधित इस्लामी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के हमलावरों ने फ्रंटियर कोर की चौकी पर हमला किया। इस हमले में एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी मारा गया और तीन लोग घायल हो गए। इन झड़पों के कारण सीमा पर स्थित गांवों से लोग भारी संख्या में पलायन कर रहे हैं।

**हिंदुस्तान एक्सप्रेस** (11 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान जिले की वाना तहसील में हुए विस्फोट में कम-से-कम छह पाकिस्तानी पुलिसकर्मी और सात नागरिक घायल हो गए। इसके अतिरिक्त गोमल विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ. शकीबुल्लाह पर सशस्त्र हमलावरों ने तब हमला किया जब वे डेरा इस्माइल खान स्थित कृषि विश्वविद्यालय परिसर से बाहर निकल रहे थे। इस हमले में उनका वाहन चालक मारा गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक अन्य हमले में आतंकवादियों ने दक्षिणी वजीरिस्तान के रुस्तम बाजार इलाके में कारी कोट रोड़ पर पोलियों टीमों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जा रही दो पुलिस वैन को अपना निशाना बनाया।

**अवधनामा** (12 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तान की फेडरल सरकार और खैबर पख्तूनख्वा सरकार के बीच बढ़ते हुए मतभेदों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस समय फेडरल सरकार का नेतृत्व पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) कर रही है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सत्तारूढ़ है। खैबर पख्तूनख्वा सरकार का यह आरोप है कि राज्य के विकास के लिए बजट में जो धनराशि निर्धारित की गई थी उसका भुगतान फेडरल सरकार नहीं कर रही है। इसके कारण राज्य का पूरा प्रशासन और विकास कार्यक्रम ठप हो गया है। दूसरी ओर, फेडरल सरकार का आरोप है कि वह राज्य सरकार को जो धनराशि देती है उसे राज्य के भ्रष्ट अधिकारी और नेता हड़प जाते हैं।

पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के कारण भी जनाक्रोश बढ़ रहा है। बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मंत्री इनायतुल्लाह खान का आरोप है कि फेडरल सरकार के इशारे पर यह कटौती की जा रही है ताकि जनता राज्य सरकार का तख्ता पलटने के लिए मजबूर हो जाए। उन्होंने कहा कि हमारे वित्तीय साधन बहुत सीमित हैं, इसलिए हमें फेडरल सरकार की भीख पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि फेडरल सरकार के रूख के कारण हमें कई विकास परियोजनाओं को रद्द करना पड़ा है। इस समय फेडरल सरकार को 70 अरब रुपये राज्य सरकार को भुगतान करना है, जो वह नहीं कर रही है।

# डच नेता की हत्या के लिए उकसाने पर दो पाकिस्तानियों को सजा

**सहाफत** (11 सितंबर) के अनुसार नीदरलैंड की एक अदालत ने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के प्रमुख साद हुसैन रिजवी और मोहम्मद अशरफ जलाली को क्रमशः चार साल और 14 साल की सजा सुनाई है। इन पर इस्लाम विरोधी डच नेता गीर्ट वाइल्डर्स की हत्या के लिए अपने अनुयायियों को उकसाने का आरोप है। इन दोनों कट्टरपंथी इस्लामी नेताओं की अनुपस्थिति में उनके खिलाफ नीदरलैंड की एक अदालत में मुकदमा चलाया गया था। 56 वर्षीय अशरफ जलाली पर यह आरोप है कि उसने अपने अनुयायियों को इस्लाम विरोधी डच नेता गीर्ट वाइल्डर्स की हत्या के लिए उकसाया था। उसने यह भी घोषणा की थी कि वाइल्डर्स की हत्या करने वाले को ईनाम स्वरूप भारी धनराशि दी जाएगी। 29 वर्षीय साद हुसैन रिजवी को भी इसी आरोप में सजा दी गई है।

गौरतलब है कि 2023 में एक डच अदालत ने इसी आरोप में एक पाकिस्तानी क्रिकेटर खालिद लतीफ को भी 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। बता दें कि इस्लाम विरोधी डच नेता गीर्ट वाइल्डर्स ने अगस्त 2018 में पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की थी। इस पर अनेक मुस्लिम देशों में प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद वाइल्डर्स ने यह प्रतियोगिता रद्द कर दी थी। तब से मुसलमानों की ओर से उन्हें निरंतर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। वाइल्डर्स चौबीसों घंटे सुरक्षा कवच में रहते हैं। ■

# बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा

**अवधनामा** (6 सितंबर) के अनुसार बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चार अन्य चुनाव आयुक्तों को नई सरकार के आदेश पर अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा है। उन पर यह आरोप है कि उनके इशारे पर बांग्लादेश में इस वर्ष के जनवरी महीने में हुए आम चुनाव में धांधली की गई और शेख हसीना व उनकी पार्टी अवामी लीग को सत्ता में लाया गया। हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त काजी हबीबुल अवल और अन्य चारों क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों ने इस आरोप का खंडन किया था। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हुए राष्ट्रव्यापी हिंसक प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था।

**उर्दू टाइम्स** (12 सितंबर) के अनुसार बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन ने संकेत दिया है कि बांग्लादेश सरकार भारत सरकार से यह अनुरोध करेगी कि वह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उसके हवाले कर दे ताकि उनके खिलाफ नरसंहार के आरोप में मुकदमा चलाया जा सके। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है। इस संधि में अपराधियों को एक दूसरे देश के हवाले करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि भारत इस संधि का सम्मान करेगा। बांग्लादेश सरकार लगभग एक हजार लोगों की हत्या के आरोप में शेख हसीना पर मुकदमा चलाने की तैयारी कर रही है। इसके अतिरिक्त उनके खिलाफ पहले ही दो मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इस मुकदमे की जांच के सिलसिले में अब तक 10 पूर्व मंत्रियों और वरिष्ठ सलाहकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

**अवधनामा** (5 सितंबर) के अनुसार पिछले दिनों बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों में पुलिस थानों और सैन्य शिविरों पर हमलों के दौरान जो हजारों हथियार लूटे गए थे उनकी बरामदगी के लिए देशभर में अभियान छेड़ा गया है। इस अभियान के तहत अब तक 3700 हथियार बरामद किए जा चुके हैं। बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि इन हथियारों को भीड़ ने पुलिस से लूटे थे। इससे पहले सरकार ने यह घोषणा की थी कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास लूटे हुए हथियार हैं तो वे उन्हें थानों में जमा करवा दें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ढाका के पुलिस कमिश्नर ने यह पुष्टि की है कि कुछ पुलिस अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि उन्हें गोली चलाने का आदेश देने वाले नेताओं व अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

# हूतियों का इजरायल पर हमला

**रोजनामा सहारा** (16 सितंबर) के अनुसार फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी 'एएफपी' ने दावा किया है कि हूतियों ने इजरायल के व्यापारिक केंद्र तेल-अवीव और मध्य इजरायल क्षेत्र में स्थित भवनों को अपना निशाना बनाया है। इस हमले में नौ लोगों के घायल होने का दावा किया गया है। इजरायली सेना के एक प्रवक्ता ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह हमला सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया है। इस मिसाइल को ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दो हजार किलोमीटर दूर यमन के किसी अड्डे से छोड़ा था। इजरायली सेना का दावा है कि इन मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लिया गया था और इजरायल को इससे अधिक नुकसान नहीं हुआ है।

दूसरी ओर, इजरायली अखबार 'यरुशलम पोस्ट' ने दावा किया है कि यह बैलिस्टिक मिसाइल यमन से तेल अवीव की ओर छोड़ी गई थी, जिसे पहली बार इजरायल की ऐरो 3 मिसाइल रोकने में विफल रही है। जबकि एक अन्य मिसाइल को रास्ते में ही नष्ट कर दिया गया। दूसरी मिसाइल इजरायल के एक रेलवे स्टेशन पर गिरी। यमन के हूती विद्रोहियों ने घोषणा की है कि यह हमलों की शुरुआत है, जिसे जारी रखा जाएगा।

हूती सेना के प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा है कि यह हमला नए हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया था, जिसका लक्ष्य जाफा स्थित इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना था। उन्होंने कहा कि हमारा यह हमला सफल रहा और इस मिसाइल ने यमन से 2040 किलोमीटर दूर इजरायली सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया। हूतियों के मीडिया कार्यालय के उप प्रमुख नसरुद्दीन आमेर ने दावा किया है कि ये हमले गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकता प्रकट करने के लिए हूतियों द्वारा किए जा रहे हैं। हूती विद्रोही पिछले साल के नवंबर महीने से लगातार इजरायल और उसके समर्थक देशों के जलयानों को अपना निशाना बना रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन हमलों पर टिप्पणी करते

हुए कहा है कि यमन में बैठे हूतियों को यह मालूम होना चाहिए कि इजरायल पर हमला करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे हमलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे।

एक अन्य समाचार के अनुसार लेबनान से भी इजरायल पर मिसाइल हमले तेज कर दिए गए हैं। लेबनान की ओर से गोलान हाइट्स में स्थित इजरायली बस्तियों और उनके स्कूलों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों की पुष्टि इजरायल से प्रकाशित अखबारों ने भी की है। गौरतलब है कि हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि इजरायल लेबनान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान की शुरुआत कर रहा है। इस हमले के लिए इजरायली जनरलों ने व्यापक योजना बना ली है।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (15 सितंबर) के अनुसार इजरायल और लेबनान के मिलिशिया संगठन हिजबुल्लाह के बीच झड़पों का सिलसिला तेज हो गया है। लेबनान की ओर से इजरायल पर किए गए हमले की जवाबी कार्रवाई के तौर पर इजरायल ने लेबनान में कई स्थानों पर बमबारी की, जिसके कारण 13 लाख लोग बेघर हो गए।

**हिंदुस्तान** (9 सितंबर) के अनुसार ईरानी पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) के प्रमुख कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने यह दावा

किया है कि इजरायल ने ईरानी तेल के निर्यात को रोकने के लिए पिछले छह साल में 14 ईरानी जलयानों को अपना निशाना बनाया है। जबकि इसके जवाब में ईरान ने 12 इजरायली जहाजों को अपना निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि पहले हम यह नहीं जानते थे कि हमारे जहाजों पर कौन हमला कर रहा है, लेकिन अब हमें यह पता चल गया है कि इन हमलों के लिए यहूदी दोषी हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इजरायलियों ने यूनान में हमारे दो जहाजों को रोक लिया है। वाल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार इजरायल ने सीरिया जाने वाले 12 जहाजों को अपना निशाना बनाया है। कहा जाता है कि इन जहाजों में ईरानी तेल और हथियार थे। ईरान ने इजरायल पर यह भी आरोप लगाया है कि इजरायल ने उसके कई परमाणु ठिकानों को भी तबाह करने का प्रयास किया है।

# संयुक्त अरब अमीरात में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित

**उर्दू टाइम्स** (7 सितंबर) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है कि उसने अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर लिया है। सरकारी संस्थान अमीरात परमाणु ऊर्जा निगम (ईएनईसी) ने एक बयान में कहा है कि अबू धाबी का बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र अपने चौथे और अंतिम रिएक्टर के वाणिज्यिक संचालन में प्रवेश करने के बाद सालाना 40 टेरावाट बिजली का उत्पादन करेगा। इस ऊर्जा संयंत्र के चालू होने से देश की बिजली की 25 प्रतिशत जरूरतें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि इस देश में गरमी के कारण हर जगह वातानुकूलन की व्यवस्था है। यह ऊर्जा संयंत्र दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनियों में से एक अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, अमीरात स्टील और अमीरात ग्लोबल एल्युमीनियम सहित कई कंपनियों को बिजली प्रदान करेगा। बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने 2020 में परिचालन शुरू किया था।

हाल ही में सऊदी अरब ने भी परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना की घोषणा की है ताकि देश में बढ़ती हुई बिजली की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए अनेक देशों से बातचीत चल रही है। अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि इस ऊर्जा संयंत्र को किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ऊर्जा के लिए तेल पर निर्भर था। अब उसने विकल्प के तौर पर परमाणु ऊर्जा को विकसित करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि ईरान के तटीय नगर बूशहर में भी रूस के सहयोग से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का काम चल रहा है। बताया जाता है कि रूस ने यूरेनियम संवर्धन के लिए भी ईरान को अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

## चीनी प्रधानमंत्री का सऊदी अरब दौरा

**एतेमाद** (12 सितंबर) के अनुसार चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर रियाद पहुंच गए हैं। चीनी प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ली कियांग सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ उच्च स्तरीय चीन-सऊदी संयुक्त समिति की चौथी बैठक में भाग लेंगे। चीन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल और सहयोग को मजबूत बनाना चाहते हैं। इनमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग, राजनीति, सुरक्षा, वाणिज्य, ऊर्जा, निवेश, संस्कृति और प्रौद्योगिकी शामिल हैं।

चीनी प्रधानमंत्री का यह अरब देशों का पहला दौरा है। सऊदी अरब के बाद वे संयुक्त अरब अमीरात भी जाएंगे। सरकारी बयान के अनुसार दोनों देश व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स के

क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं। चीनी प्रधानमंत्री के साथ वाणिज्य मंत्री और उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी सऊदी अरब के दौरे पर हैं। चीन सऊदी अरब के कई सरकारी फर्मों में पूंजी निवेश करना चाहता है। इनमें अरामको और साबिक भी शामिल हैं। चीन विदेशों में भारी मात्रा में पूंजी निवेश करना चाहता है। इसके लिए वह खाड़ी सहयोग परिषद के अधिकारियों से भी बातचीत करेगा।

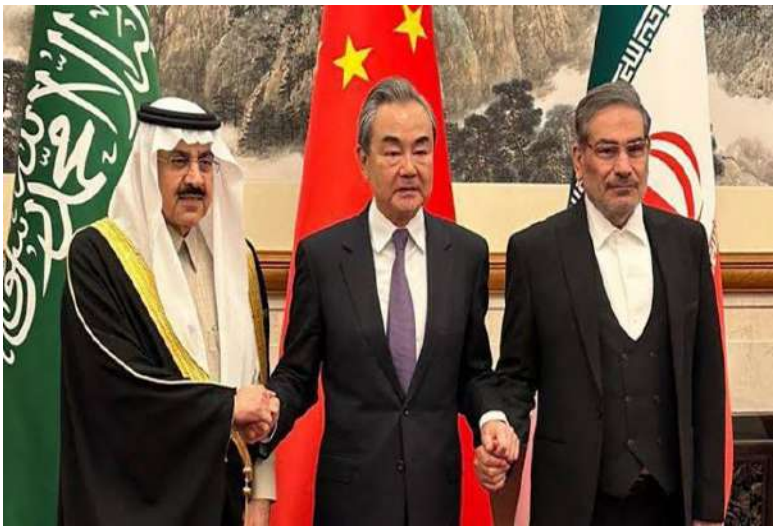

2023 में चीन और सऊदी अरब के बीच 107 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था। इसमें से चीन ने 64 बिलियन डॉलर का सामान आयात किया था। सऊदी अरब के उद्योग एवं खनिज संसाधन मंत्री बंदर अल-खोरायफ ने कहा कि सऊदी अरब कच्चे तेल के व्यापार में चीन की करेंसी युआन का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है। इस संबंध में सऊदी अरब के मंत्री ने चीन का भी दौरा किया था। 2022 में सऊदी अरब ने चीन से चार बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार खरीदने का फैसला किया था।

मध्य पूर्व के अरब जगत में हाल ही में चीन ने विशेष रुचि लेना शुरू किया है। पिछले साल चीन ने अपनी सफल कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए अचानक अरब जगत के दो पुराने प्रतिद्वंद्वियों ईरान और सऊदी अरब को बीजिंग बुलाया था और चीन के प्रयास से इन दोनों देशों के बीच 16 सालों के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई थी। ईरान को अमेरिका विरोधी माना जाता है, जिसका लाभ उठाने का प्रयास चीन कर रहा है। उसका यह प्रयास है कि अरब जगत के आर्थिक संसाधनों का दोहन करने के लिए वह पश्चिमी देशों के बजाय इन क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित करे। यही कारण है कि ईरान के साथसाथ सऊदी अरब को भी चीन अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करने का प्रयास कर रहा है।

यह तथ्य सर्वविदित है कि लंबे समय तक ईरान और सऊदी अरब के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। ईरान एक शिया देश है। जबकि सऊदी अरब के शासक कट्टर सुन्नी और वहाबी हैं। शियाओं और सुन्नियों के संबंध प्रारंभ से ही शत्रुतापूर्ण रहे हैं। ईरान का आरोप है कि सऊदी अरब शियाओं के उत्पीड़न की नीति का अनुसरण कर रहा है। कुछ साल पहले सऊदी अरब ने कुछ शिया विद्वानों को फांसी पर भी लटका दिया था। इसके बावजूद चीन ने दोनों देशों को एक दूसरे के नजदीक लाने का प्रयास किया है। हाल ही में चीन ने अरब राजनीति में एक और तुरुप का पत्ता फेंका है। उसने इजरायल और हमास के बीच छिड़े युद्ध का भी राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया है। चीन हमास और उसके प्रतिद्वंद्वी संगठन फतह समेत 14 फिलिस्तीनी इस्लामी अतिवादी संगठनों को एक मंच पर लाने में सफल रहा है। इससे अरब जगत में चीन के वर्चस्व में बढ़ोतरी हुई है और अमेरिका के लिए कठिनाई पैदा हो गई है।

# जॉर्डन के संसदीय चुनावों में कट्टरपंथियों की भारी जीत

**रोजनामा सहारा** (13 सितंबर) के अनुसार जॉर्डन के संसदीय चुनावों में कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी इस्लामिक एक्शन फ्रंट (आईएएफ) ने भारी जीत दर्ज की है। अभी तक यह पार्टी विपक्ष में थी। आईएएफ को मिस्र के विवादित संगठन इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) का नजदीकी माना जाता है। इस पार्टी ने संसद की 138 सीटों में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की है। इन चुनावों में हमास के समर्थन में जो जनभावना पैदा हुई थी उसका लाभ आईएएफ ने उठाया है। आईएएफ जॉर्डन में इख्वानुल मुस्लिमीन की राजनीतिक शाखा है। गौरतलब है कि फिलिस्तीनी जॉर्डन की मतदाता सूची में भारी संख्या में दर्ज हैं। जॉर्डन शुरुआत से ही पश्चिमी देशों के ब्लॉक में रहा है और उसे अमेरिका का सहयोगी माना जाता है। इसके अतिरिक्त उसके इजरायल के साथ भी राजनयिक संबंध हैं। जॉर्डन की जनता की भावना इजरायल के खिलाफ है। आईएएफ ने हमास के समर्थन में प्रदर्शनों का भी आयोजन किया था। इन प्रदर्शनों की वजह से उसने चुनावों में भारी जीत दर्ज की है।

गौरतलब है कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अन्य पश्चिमी देशों ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। यह संसदीय चुनाव 2022 में चुनावी नियमों में हुए संशोधन के बाद हुआ है। इस संशोधन के अनुसार राजनीतिक दलों के लिए पहली बार जॉर्डन की संसद में 41 सीटें आरिक्षत की गई हैं। संशोधित कानून का लक्ष्य सत्ता पर कबाइलियों की पकड़ को कम करना और राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है। हालांकि, सच्चाई यह है कि जॉर्डन में बादशाह के पास पूर्ण अधिकार हैं, लेकिन अब वहां पर यह दबाव बढ़ रहा है कि सत्ता में राजनीतिक दलों को भी भागीदार बनाया जाए। आईएएफ के प्रमुख ने कहा है कि चुनावों में जॉर्डन की जनता ने हमारा समर्थन करके हमारी जिम्मेवारी को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि 1989 के बाद पहली बार उनकी पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली है। 1989 में इस पार्टी ने संसद की 80 सीटों में से 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

सरकारी मीडिया के अनुसार जॉर्डन की जनता इन संसदीय चुनावों के प्रति उदासीन रही और सिर्फ 32 प्रतिशत मतदाताओं ने ही मतदान में भाग लिया। इन चुनावों में 27 महिलाएं भी जीती हैं। आईएएफ के महासचिव मुराद अल-अदैलेह ने संवाददाताओं को बताया कि उनकी पार्टी की जीत जनमत संग्रह की तरह है, जिसमें जनता ने हमास और उसके सहयोगियों का समर्थन किया है। जनता ने इस बात पर जोर दिया है कि जॉर्डन ने इजरायल के साथ 1994 में जो शांति समझौता किया था उसे फौरन रद्द किया जाए।

1999 में सत्ता संभालने वाले शाह अब्दुल्लाह द्वितीय के पास यह अधिकार है कि वे

किसी भी सरकार को शपथ दिला सकते हैं या उसे सत्ता से हटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें संसद को भंग करने का संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त है। इसके साथ ही अगर संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना जरूरी है। शाह अब्दुल्लाह द्वितीय ने आशा व्यक्त की है कि इन चुनाव परिणामों से देश में संवैधानिक सुधार करने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि इस समय जॉर्डन पर 50 बिलियन डॉलर का कर्ज है और बेरोजगारी की दर 21 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। इसके प्रति जनता में काफी असंतोष है।

# सूडान में सैन्य हमले में दर्जनों मारे गए

**अवधनामा** (11 सितंबर) के अनुसार सूडान के दक्षिण-पूर्वी शहर सेन्नार में गृहयुद्ध फिर से भड़क उठा है। सेन्नार के एक बाजार पर अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में 31 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। सूडान के गृहयुद्ध के दौरान नागरिकों की हत्या और अन्य मानवीय उल्लंघनों पर नजर रखने वाले एनजीओ 'इमरजेंसी लॉयर्स' ने कहा कि आरएसएफ ने नगर पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। इन दिनों सूडान में मुसलाधार वर्षा हो रही है, जिसके कारण युद्ध धीमा पड़ गया था। दारफुर के गवर्नर मिन्नी मिन्नावी ने आरएसएफ पर ड्रोन से हमला करने का आरोप लगाया है। दारफुर प्रांत के कई क्षेत्रों पर सैन्य सरकार की सेना का कब्जा है।

गौरतलब है कि सूडान की जनसंख्या 4 करोड़ से भी अधिक है, जिसमें लगभग 70 प्रतिशत अरब मुस्लिम हैं। सूडान में सोना, प्लैटिनम, कॉपर, जिंक और कोबाल्ट आदि के विशाल भंडार हैं। जबकि दक्षिण सूडान को अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राष्ट्र ने अलग देश घोषित कर रखा है। इस क्षेत्र में सिर्फ छह प्रतिशत ही मुसलमान हैं। शेष आबादी ईसाइयों की है। सूडान का यह दुर्भाग्य है कि पिछले 30 सालों से वहां पर गृहयुद्ध जारी है। इस गृहयुद्ध में अब तक कम-से-कम 20 लाख लोग मारे जा चुके हैं और 50 लाख लोग बेघर हुए हैं। सूडान में मई 1986 से लेकर जून 1989 तक अहमद अल-मिरघानी सत्तारूढ़ थे। 1989 में सूडानी सेना के तत्कालीन प्रमुख उमर अल-बशीर ने विद्रोह कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। वे एक तानाशाह के रूप में 30 सालों तक शासन करते रहे। इसके बाद उनकी तानाशाही के खिलाफ जनाक्रोश भड़क उठा। सरकार विरोधी उग्र प्रदर्शनों और हड़तालों के कारण सूडान में 2019 में सैन्य क्रांति हुई और सूडानी सेना के प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने सहयोगी और आरएसएफ के सेनापति जनरल मोहम्मद हमदान डागालो को उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया। बाद में सत्ता पर कब्जे को लेकर इन दोनों दोस्तों के बीच संघर्ष छिड़ गया और तब से यह संघर्ष जारी है।

सूडान अब दो हिस्सों में बंट चुका है। दोनों गुट सेना की सहायता से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। गृहयुद्ध के कारण सूडान में भीषण खाद्य संकट है। सूडान अकाल के चपेट में है, जिसके कारण हर रोज सैकड़ों मासूम लोग मर रहे हैं और उनके शवों से गांव और शहर पटे हुए हैं। इन शवों को ठिकाने न लगाए जाने के कारण अनेक तरह की महामारियां फैल गई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गृहयुद्ध पर नियंत्रण हेतु जो प्रयास किया था, वह विफल रहा है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

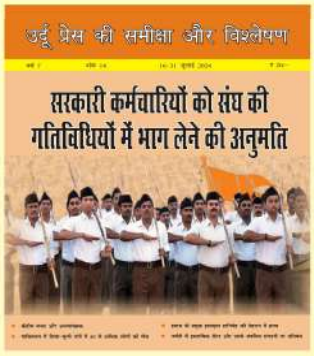

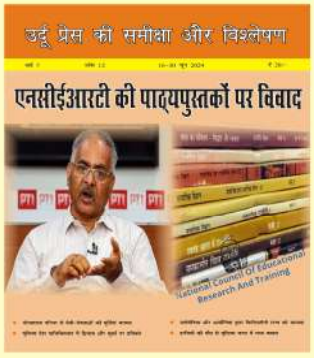


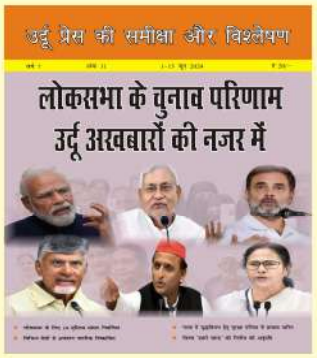


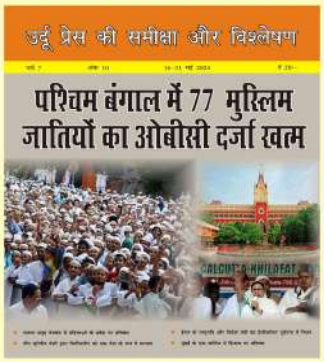


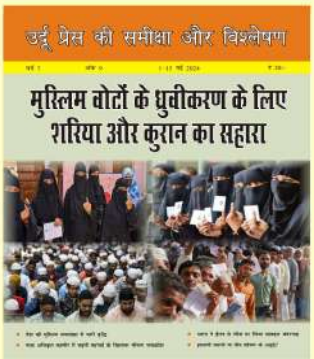


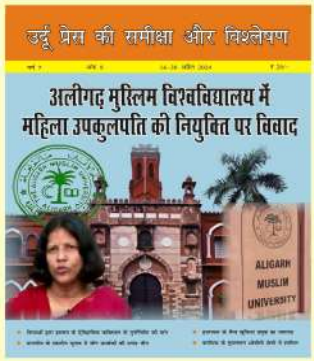


भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in